हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

न्यायालय ने नौ साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया। अभियुक्तों ने हत्या कर लाश को पेड़ पर लटका दिया था। न्यायालय ने नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि ग्राम धनरा निवासी राजाराम ने न्यायालय के माध्यम से रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी ग्राम रक्सा

हत्या कर पेड़ पर लटका दी थी लाश

के डगरवाहा में पैतृक मकान व कृषि भूमि है। इस भूमि पर वह और अपने भाई मुन्ना व रामस्वरूप के साथ खेती करता है। तीनों भाई अपने-अपने हिस्से की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। गांव में ही रहने वाला नत्थू, कल्ला और उसका पिता बलवीर अक्सर उनकी जमीन से पेड़ काटकर ले जाते हैं। जानवरों से चरवाकर फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। नुकसान से बचाने के लिए भाई मुन्ना खेत पर ही कुटिया बनाकर रहने लगा था। विपक्षी कई बार मुन्ना को जान से मारने की धमकी दे चुके थे। वे भाई मुन्ना पर खेत छोड़कर भाग जाने का दबाव बनाते थे। 26 अक्तूबर 2014 की रात विपक्षियों ने भाई मुन्ना की लाठी-डंडों से हमलाकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद विपक्षियों ने भाई के शव को पेड़ से लटका दिया था।

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त नत्थू, कल्ला और उसके पिता बलवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पिता–पुत्र समेत 3 को उम्रकैद

हत्या करके शव को लटका दिया था पेड़ पर

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा (प्रथम) की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर पिता–पुत्र समेत 3 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पेड़ पर लटका दिया था, ताकि घटना आत्महत्या की प्रतीत हो।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पॉचाल ने बताया कि थाना रक्सा में ग्राम धनरा निवासी राजाराम ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी ग्राम रक्सा के डगरवाहा में पैतृक मकान और कृषि भूमि है। भूमि पर वह अपने भाई मुन्ना व रामस्वरूप के साथ खेती करता है। तीनो भाई अपने–अपने हिस्से की जमीन पर खेती करते आ रहे है। गाँव का कल्ला, नत्थू व उसके पिता बलवीर अक्सर उनकी जमीन पर लगे पेड काटकर ले जाते थे। फसल को जानवरों से चरवाकर नुकसान पहुँचाते रहते थे। नुकसान से बचने के लिए भाई मुन्ना खेत पर ही कुटिया बनाकर रहने लगा था। विपक्षी कई बार मुन्ना को जान से मारने की धमकी दे चुके थे। वह मुन्ना पर खेत छोडकर भाग जाने का दबाव बनाते थे। 26 अक्टूबर 2014 की रात विपक्षियो ने भाई मुन्ना पर लाठी–डण्डो से हमलाकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद विपक्षियो ने भाई के शव को पेड से लटका दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यो के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त नत्थू, कल्ला और उसके पिता बलवीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50–50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को एक–एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

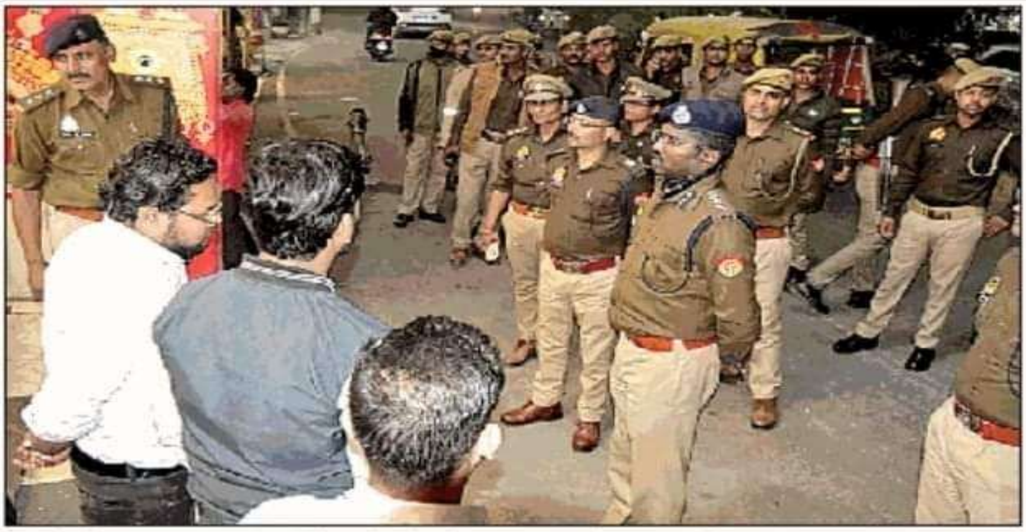

झाँसी : सदर बाजार में लोगों से बात करते हुए पुलिस कप्तान व अन्य।

पैदल गश्त कर दिलाया सुरक्षा का भरोसा

झाँसी : शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस. ने पुलिस अधिकारियों व सिपाहियों के साथ थाना सदर बाजार क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक, भीड़-भाड़ वाले स्थानों व बाजार में पैदल गश्त किया। इस दौरान दुकानदारों व लोगों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

निरीक्षण के माध्यम से संरक्षा पर दिया जोर

झाँसी : मण्डल के समस्त अधिकारी लगातार रात्रि पायदान निरीक्षण कर संरक्षा पर जोर दे रहे हैं। निरीक्षण के द्वारा पायी जाने वाली कमियों पर सुधार भी कराया जा रहा है। साथ ही 12 दिसम्बर 2023 से नियमित रूप से मण्डल के अधिकारियों द्वारा स्टेशन का रात्रिकालीन निरीक्षण का कार्यक्रम भी चलाया गया है।

जनपद प्रभारियों ने पैदल गस्त करते हुये थानों के आकस्मिक निरीक्षण किये

ललितपुर। झांसी, कलानिधि नैथानी, पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशानुसार परिक्षेत्र के जनपद प्रभारियों द्वारा अपने-अपने जनपद के थानाक्षेत्रों में पैदल गस्त करते हुये थानों के आकस्मिक निरीक्षण किये गये। जनपद झाँसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस0 द्वारा जनपद के थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत सदर बाजार मार्केट में पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर आमजनमास एंव व्यापारियों से सम्पर्क कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक ईरज राजा द्वारा जनपद के थाना कोंच क्षेत्र के भीड़-भाड़, बाजार क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर आमजनमास एंव व्यापारियों से सम्पर्क कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा साथ ही थाना कोतवाली कोंच का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। जनपद ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मु0 मुश्ताक द्वारा जनपद के थाना शहर कोतवाली के भीड़-भाड़, सर्राफा बाजार क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर आमजनमास एंव व्यापारियों से सम्पर्क कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा साथ ही थाना कोतवाली ललितपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर थाना प्रभारी को अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।